HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. **C/ 2851**
III-10-40/78 -VIII

Jabalpur, dated 22.06.2019

The copy of Rajpatra dated 29.03.2019 containing Notification issued u/s 12(1) of Civil Court Act, 1958, is forwarded to :-

1. The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information,
2. The District and Sessions Judge **Chhindwara**,
3. District Judge, (Inspection), High Court Premises Jabalpur, JE-1, Judges Enclave, Resident Area, Indore, /28-B Race Course, Near Mela Ground Gwalior,
4. The Principal Registrar/OSD, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur,
5. Registrar (J-I)/ (J-II)/ (D.E.)/ (W&I)/ (A)/ (I&L)/ (Examination and Labour Judiciary)/ IT/ Registrar & Secretary, M.P. Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
6. P.S. to Hon'ble the Acting Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordships,
7. P.S. to Hon'ble Shri Justice ....
8. P.S. to Registrar General/Principal Registrar(Judl.)/Principal Registrar (Vigilance),/Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
9. P.A. to Director/Additional Director JOTRI, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
10. D.R. Confidential, Section Officer Checker/ Criminal Checker/ Work Section/ Budget/ D.E. High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
11. Computer Operator,Confidential Section High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
12. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01.03.2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01.03.2018.

(B.P. SHARMA)
REGISTRAR (D.E.)

:-:

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2019—चैत्र 8, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2019

क्र. एफ 1-95-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक बड़वानी को दिनांक 20 से 29 दिसम्बर 2018 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के सहित उनके पति के साथ (बाली) इण्डोनेशिया की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पुलिस अधीक्षक बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

No. B-1623-III-10-40-78-VIII.—In the notification of the High Court of Madhya Pradesh No. C/4666/III-10-40/78-VII, dated 18th November, 2016, issued in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 12 of the Madhya Pardesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), which was published in the "Madhya Pardesh Gazette" dated 16th December, 2016 following amendment is made In the said notification in the table for the serial number 11 Civil District Chhindwara the following entries are substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Chhindwara	Chhindwara	5*	Chhindwara	5	Chhindwara	8
		Pandhurna	1	Pandhurna	1	Pandhurna	1

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. पी. शर्मा, रजिस्ट्रार (डी.ई.).

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2019

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-90-2010-बी-ग्यारह के द्वारा मध्यप्रदेश केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लि. जबलपुर के अन्तर्गत अनुक्रमांक 05 में औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया, तहसील, शहपुरा, जिला जबलपुर क्षेत्रफल 215.23 हेक्टेयर स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में दिनांक 17 जनवरी 2012 को अधिसूचित किया गया था जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 फरवरी 2012 को किया गया था. उक्त औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया हेतु 63.050 अतिरिक्त भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के क्षेत्रफल में संशोधन कर निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:—

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया	जबलपुर	278.280

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. 297-93-2019-ए-ग्यारह.—बायलर्स एक्ट 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. विजयपुर जिला गुना (म. प्र.) को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3772 को दिनांक 9 अक्टूबर 2019 तक तथा क्रमांक एमपी-4572 को दिनांक 8 अक्टूबर 2019 तक एवं क्रमांक एमपी-4897 को दिनाक 8 अक्टूबर 2019 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से छूट प्रदाय करता है:—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 23 अगस्त 1995 है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1680.—(मेरिट क्र. 42), राज्य शासन, सुश्री शिवानी असाटी पुत्री डॉ. अनिल कुमार असाटी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 13 दिसम्बर 1992 है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1836.—(मेरिट क्र. 59), राज्य शासन, श्री मोहित पुत्र श्री राम सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080— 44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झज्जर (हरियाणा) है. उसकी जन्मतिथि 18 सितम्बर 1992 है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1789.—(मेरिट क्र. 57), राज्य शासन, सुश्री सोनल सिंह जादौन पुत्री श्री अम्बरीश सिंह जादौन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 25 फरवरी 1992 है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1791.—(मेरिट क्र. 102), राज्य शासन, सुश्री साक्षी प्रसाद पुत्री श्री द्वारिका प्रसाद अहिरवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 19 फरवरी 1989 है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक)1793.—(मेरिट क्र. 23), राज्य शासन, श्री अमित प्रताप सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 22 जनवरी 1989 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2019

क्र बी-1623-तीन-10-40-78 (भाग-आठ).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी/4665/तीन-10-40-78-सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 11 सिविल जिला छिन्दवाड़ा तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिलों का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	5*	छिन्दवाड़ा	5	छिन्दवाड़ा	8
		पाण्डुर्णा	1	पाण्डुर्णा	1	पाण्डुर्णा	1